न्यायमूर्ति एस.एस. संधावलिया, सी.जे. और आई.एस. तिवाना, जे. के समक्ष

कृष्णा देवी और अन्य,-याचिकाकर्ता

बनाम

ग्राम सभा लाहौरा,-प्रतिवादी

आपराधिक विविध. 1978 का क्रमांक 6423-एम

11 अक्टूबर 1979

पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम (1053 का चतुर्थ) - धारा 21, 23, 51 और 66 आपराधिक प्रक्रिया संहिता (1974 का द्वितीय) - धारा 397 - धारा 21 और 23 के तहत एक पंचायत द्वारा शुरू की गई कार्यवाही - ऐसी कार्यवाही न्यायिक अदालत में स्थानांतरित की जाती है धारा 51 के तहत मजिस्ट्रेट-मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश-क्या संहिता की धारा 397 के तहत पुनरीक्षण योग्य-मजिस्ट्रेट उन कार्यवाहियों का निर्णय करते समय-क्या 'पंचायत' के रूप में कार्य करता है।

यह माना गया कि पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, 1952 की धारा 21 और 23 के तहत शुरू की गई कार्यवाही आपराधिक कार्यवाही की प्रकृति में है और उन धाराओं के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय पंचायत एक अदालत है। एक बार जब उन कार्यवाहियों को न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में स्थानांतरित कर दिया जाता है तो उक्त न्यायिक अदालत पंचायत की स्थिति में कम नहीं हो जाएगी। ग्राम पंचायत और न्यायिक मजिस्ट्रेट उन कार्यवाहियों पर विचार करने और निर्णय लेने के लिए सक्षम क्षेत्राधिकार के दो स्वतंत्र और समानांतर मंच हैं। यह अधिनियम की धारा 51 के संदर्भ से अधिक स्पष्ट है जो बताता है कि एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी पंचायत द्वारा की गई न्यायिक कार्यवाही में आदेश को रद्द या संशोधित करते समय उसी या किसी अन्य द्वारा मामले की दोबारा सुनवाई का निर्देश दे सकता है।यह अधिनियम की धारा 51 के संदर्भ से अधिक स्पष्ट है जो बताता है कि एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पंचायत द्वारा की गई न्यायिक कार्यवाही में आदेश को रद्द या संशोधित करते समय उसी या अन्य सक्षम पंचायत द्वारा मामले की दोबारा सुनवाई का निर्देश दे सकता है। क्षेत्राधिकार या उसके अधीनस्थ प्रतिस्पर्धा क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा। अधिनियम की धारा 66 आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों की प्रयोज्यता को पंचायत के समक्ष लंबित कार्यवाही और सक्षम क्षेत्राधिकार वाली अदालत के दायरे से बाहर रखती है। वास्तव में। मैक फ्रेट की ऐसी अदालत संहिता के तहत बनाई गई है और इसके सभी कार्य और आदेश संहिता द्वारा निर्धारित प्रक्रिया द्वारा शासित होते हैं। इससे पहले, यह नहीं हो सकता। किसी भी सिद्धांत पर माना जा सकता है कि जब कोई कार्यवाही सक्षम क्षेत्राधिकार वाली पंचायत की अदालत से सक्षम क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट की अदालत में स्थानांतरित की जाती है, तो 'सीओ के प्रावधान बाद की

अदालत या कार्यवाही पर लागू नहीं होंगे। इस मामले में, सत्र न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय की कार्यवाही की जांच करने के लिए सक्षम था, जो न्यायालय निस्संदेह सत्र न्यायाधीश के स्थानीय क्षेत्राधिकार के भीतर एक अवर आपराधिक न्यायालय था। न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश इसलिए, संहिता की धारा 397 के तहत पुनरीक्षण योग्य था।

(पैरा 5)

आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के साथ प्रार्थना करते हुए पढ़ें कि याचिका स्वीकार की जाए और विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश के आक्षेपित निर्णय और आदेश को स्वीकार किया जाए। चंडीगढ़ दिनांक 29 सितंबर 1978 को रद्द किया जाए और ट्रायल को रद्द किया जाए! कोर्ट बहाल. आगे प्रार्थना की गई है कि इस याचिका के लंबित रहने के दौरान प्रतिवादी को मामले में कोई भी कार्रवाई करने से रोका जाए।

याचिकाकर्ता के वकील हरबंस सिंह।

प्रतिवादी की ओर से वकील आर.के.मित्तल।

निर्णय

न्यायमूर्ति आई.एस. तिवाना,

(1) कुछ महत्व का कानून का प्रश्न जो डी. एस. तेवतिया के एक संदर्भ पर हमारे सामने आया है। जे., ग्राम पंचायत अधिनियम, 1952 की धारा 21/23 के तहत कार्यवाही में न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश के खिलाफ एक पुनरीक्षण याचिका पर विचार करने के लिए सत्र न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। संदर्भ देते समय, सीखा न्यायाधीश ने महान सिंह और अन्य बनाम राणा प्रताप[1] मामले में इस न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले की शुद्धता पर संदेह किया। हम यहां शुरुआत में उल्लेख करते हैं कि बहस के दौरान, किसी भी पक्ष के विद्वान वकील ने उक्त निर्णय की शुद्धता पर सवाल नहीं उठाया, बल्कि उनकी स्पष्ट राय थी कि इसका संदर्भ इस निर्णय के लिए प्रासंगिक भी नहीं है। याचिका। इसलिए हम। उक्त निर्णय की सत्यता की जांच करना आवश्यक नहीं समझते।

(2) संक्षेप में कानून के उपरोक्त प्रश्न को जन्म देने वाले तथ्य यह हैं कि ग्राम सभा, लोहारा, केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ ने 8 जून, 1968 को एक नोटिस जारी किया, जिसमें याचिकाकर्ताओं से उनके

[1] आकाशवाणी. 1960 पी.बी. 160

द्वारा चारों ओर बनाई गई चारदीवारी को हटाने के लिए कहा गया। कुछ क्षेत्र जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक मार्ग में बाधा उत्पन्न हुई जिसे 'रास्ता धनास-वाला धर्मशाला' के नाम से जाना जाता है। याचिकाकर्ताओं ने इस नोटिस पर अपनी आपत्तियां दर्ज कीं और आरोप लगाया कि नोटिस न केवल अस्पष्ट और अनिश्चित था, बल्कि पंचायत द्वारा जारी किए गए इसी तरह के पहले के नोटिस का भी उन्होंने सफलतापूर्वक पालन किया था और पंचायत को बार-बार ऐसे जारी करके उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। नोटिस. जो कार्यवाही सक्षम प्राधिकारियों द्वारा स्थानांतरण आदेशों के कारण किसी न किसी पंचायत में काफी लंबे समय तक लंबित रहती थी, अंततः उन्हें न्यायिक न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया। मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चंडीगढ़, सत्र न्यायाधीश के आदेशों के तहत संभवतः उनके द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 408 के तहत पारित किया गया। इस मामले का निर्णय अंततः श्री जे.पी. गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट, चंडीगढ़ ने अपने दिनांक 30 जुलाई, 1977 के आदेश द्वारा किया, जिसमें कहा गया था कि ग्राम सभा 8 जून, 1968 के नोटिस के आधार पर याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आगे कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है। . (3) ग्राम सभा, लोहारा ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के 30 जुलाई 1977 के इस आदेश के खिलाफ धारा 397, आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत एक पुनरीक्षण याचिका दायर की। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष पुनरीक्षण याचिका के लंबित रहने के दौरान ग्राम सभा ने शायद अपने मामले की कमजोरी को महसूस करते हुए उक्त विवादित नोटिस को इस वचन पत्र के साथ वापस ले लिया कि ग्राम पंचायत इस नोटिस पर आगे नहीं बढ़ेगी और यदि वे आगे बढ़ने का निर्णय लेते हैं तो संपत्ति की सीमाओं को बताते हुए एक नया नोटिस जारी करेगी। उत्तरदाताओं के खिलाफ फिर से. इस उपक्रम के परिणामस्वरूप, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने उनके समक्ष दायर याचिका को इस टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया कि पंचायत विवादित नोटिस के आधार पर बाधा को दूर करने के लिए आगे नहीं बढ़ेगी, लेकिन वह विवरण देने के लिए एक नया नोटिस देने के लिए खुली होगी। संपत्ति की सीमाएँ और यदि उत्तरदाता चाहें तो उनके विरुद्ध कार्यवाही करना। यह अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश का आदेश है जिसे अब चुनौती दी गई है हमारे सामने।

(4) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री हरबंस सिंह का प्राथमिक, बल्कि एकमात्र तर्क यह है कि ऐसी कोई भी पुनरीक्षण याचिका अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष सक्षम नहीं थी क्योंकि विद्वान वकील के अनुसार, मजिस्ट्रेट श्री जे.पी. गुप्ता ने केवल निर्णय लिया था ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा 21/23 के तहत 'एक पंचायत' के रूप में कार्यवाही और आपराधिक प्रक्रिया संहिता की प्रयोज्यता को विशेष रूप से ग्राम पंचायत अधिनियम, 1962 की धारा 66 के प्रावधानों द्वारा बाहर रखा गया है। संक्षेप में विद्वान वकील उप - इसका मतलब है कि जब कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट ग्राम पंचायत अधिनियम के तहत कार्यवाही करता है या समाप्त करता है, तो वह जिस क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है और जिस प्रक्रिया का वह पालन करता है वह ग्राम पंचायत अधिनियम के तहत निर्धारित होती है, न कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत। यदि यही स्थिति है, विद्वान वकील का तर्क है, तो धारा 397, आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत कोई भी संशोधन न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ सक्षम नहीं था। वह बताते हैं कि अधिक से अधिक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ग्राम पंचायत अधिनियम की

धारा 51 के तहत अपने पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए आदेश को रद्द या संशोधित कर सकता है।

(5) हमें ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान वकील का तर्क ग्राम पंचायत अधिनियम और आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों की गलतफहमी और गलत व्याख्या पर आधारित है। यह विवाद से परे है कि ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा 21/23 के तहत शुरू की गई कार्यवाही आपराधिक कार्यवाही की प्रकृति में है और पंचायत, उन धाराओं के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय, एक न्यायालय है। विद्वान वकील का बाकी तर्क कि एक बार जब उन कार्यवाही को न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो उक्त न्यायिक न्यायालय एक पंचायत की स्थिति में आ जाएगा, किसी भी सिद्धांत या मिसाल पर आधारित नहीं है ग्राम पंचायत और मजिस्ट्रेट की न्यायिक अदालत उन कार्यवाहियों पर विचार करने और निर्णय लेने के लिए सक्षम क्षेत्राधिकार के दो स्वतंत्र और समानांतर मंच हैं। मामले का यह पहलू स्वयं पंचायत अधिनियम की धारा 51 के संदर्भ से अधिक स्पष्ट है जो इस प्रकार है: -

"51. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा आपराधिक कार्यवाही का पर्यवेक्षण।

(1) यदि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इस बात से संतुष्ट है कि न्याय की विफलता हुई है, तो वह अपनी मर्जी से या पीड़ित पक्ष के आवेदन पर आरोपी या शिकायतकर्ता को नोटिस के बाद लिखित आदेश दे सकता है। , (ए) पंचायत द्वारा की गई न्यायिक कार्यवाही में किसी भी आदेश को रद्द या संशोधित करना या उसी या सक्षम क्षेत्राधिकार वाली किसी अन्य पंचायत या उसके अधीनस्थ सक्षम क्षेत्राधिकार वाली अदालत द्वारा किसी आपराधिक मामले की दोबारा सुनवाई का निर्देश देना।

2)
****
*

उपर्युक्त प्रावधान को पढ़ने से पता चलता है कि एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, किसी पंचायत द्वारा न्यायिक कार्यवाही में दिए गए आदेश को रद्द या संशोधित करते समय, उसी या सक्षम क्षेत्राधिकार वाली अन्य पंचायत द्वारा मामले की दोबारा सुनवाई का निर्देश दे सकता है। या उसके अधीनस्थ सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा। ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा 66 दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों को पंचायत के समक्ष लंबित कार्यवाही पर लागू करने से बाहर करती है, न कि सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के समक्ष। वास्तव में मजिस्ट्रेट की ऐसी अदालत आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत बनाई जाती है और अपने सभी कार्यों और आदेशों में उक्त संहिता द्वारा निर्धारित

प्रक्रिया द्वारा शासित होती है। इसलिए, संभवतः किसी भी सिद्धांत पर यह नहीं माना जा सकता है कि जब कोई कार्यवाही सक्षम क्षेत्राधिकार वाली पंचायत के न्यायालय से सक्षम क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट के न्यायालय में स्थानांतरित की जाती है, तो आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधान बाद वाले न्यायालय या कार्यवाही पर लागू नहीं होंगे। मामले के इस दृष्टिकोण में हम यह समझने में विफल हैं कि कैसे सत्र न्यायालय श्री जे.पी. गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चंडीगढ़ की अदालत की कार्यवाही की मांग करने और उसकी जांच करने में सक्षम नहीं था, जो अदालत निस्संदेह एक निम्नतर अपराधी थी। सत्र न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश के स्थानीय क्षेत्राधिकार के भीतर स्थित न्यायालय। इसलिए, हमारा स्पष्ट मानना है कि 29 सितंबर, 1978 के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के आदेश को क्षेत्राधिकार के बिना नहीं कहा जा सकता है।

(6) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा हमारे सामने कोई अन्य तर्क नहीं दिया गया है।

(7) उपरोक्त चर्चा के आलोक में, हम इस याचिका में कोई योग्यता नहीं पाते हैं और इसे खारिज करते हैं।

एस.एस. संधावालिया, सी.जे.-मैं सहमत हूं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

चाहत

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

अंबाला, हरियाणा